न्यायालयः—श्रीति अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.

फाईलिंग नंबर	4023/2023
सी.एन.आर. नंबर	MP3201004805-2023
संस्थित दिनांक	09-09-2022

—: निर्णय :—

//आज दिनांक 25/10/2025 को घोषित//

भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए.डी.बी. दतिया
शाखा प्रबंधक ..... **परिवादी**

—: विरूद्ध :—

विशुननाथ अहिरवार पुत्र श्री शिवचरन उम्र 48 वर्ष
निवासी— ग्राम महाराजपुरा पोस्ट रेड़ा
तहसील— दतिया म0प्र0। ..... **अभियुक्त**

परिवादी द्वारा अधिवक्ता	श्री अरूण अहिरवार
अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता	श्री राकेश चौबे

—: प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण :—

चैक का विवरण	एसबीआई चैक क.—026801
अनादरण दिनांक	04-08-2022
नोटिस दिनांक	05-08-2022
प्राप्ति दिनांक	13-08-2022
परिवाद प्रस्तुति दिनांक	09-09-2022
न्यायशुल्क	10,960/-
अपराध विरचना दिनांक	21-03-2025
निर्णय दिनांक	25-10-2025

परिवादी/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
प.सा. 01	सोनल कुमार गुप्ता	परिवादी साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो:–18

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ब.सा. 01	विशुननाथ अहिरवार	बचाव साक्षी
ब.सा. 02	शिवसेवक	बचाव साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो:–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक		

परिवादी/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 01/प.सा. 01	चैक–1
2	प्रदर्श पी. 02/प.सा. 01	रिटर्न मेमो
3	प्रदर्श पी. 03/प.सा. 01	नोटिस
4	प्रदर्श पी 04/प.सा. 01	नोटिस भेजे जाने की डाक रसीद
5	प्रदर्श पी 05/प.सा. 01	नोटिस आरोपी को प्राप्ति रसीद
6	प्रदर्श पी 06/प.सा. 01	चैक जमा स्लिप

1– प्रकरण में अभियुक्त पर आरोप है कि, उसने परिवादी बैंक को विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु **चैक क्रमांक–026801 राशि– 2,49,000/– दिनांकित 03.08.2022** भारतीय स्टेट बैंक शाखा गांधी रोड दतिया म0प्र0 का भुगतान हेतु दिया था। उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर **'अपर्याप्त निधि'** होने के कारण परिवादी को वापस प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में परिवादी द्वारा प्रेषित लिखित धन राशि की मांग का सूचना पत्र अभियुक्त को प्राप्त होने के बावजूद विहित समयावधि में अभियुक्त ने उक्त चैक राशि का भुगतान नहीं किया है, जो कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अंतर्गत दण्डनीय है।

2– परिवादी का परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि, अभियुक्त के द्वारा परिवादी बैंक की शाखा ए.डी.बी. से डेरी व्यवसाय हेतु लोन प्राप्त किया जिसका ऋण खाता 38485680515 राशि 4,00,000/– रूपये दिनांक 06.06.19 को प्राप्त किया था जिसकी अदायगी किश्तों में होना थी किन्तु अदायगी न होने से ऋण अदायगी के बारे में मांग की तो अभियुक्त द्वारा

ऋण सिक्योरिटी हेतु बैंक में जमा चैक मूलधन एवं ब्याज का जिसका चैक नं. 026801 है बचत खाता संख्या 38056174368 राशि 2,49,000/– दिनांक 03.08.22 दिया था। परिवादी बैंक द्वारा उक्त चैक को 'राशि अपर्याप्त' होने से भुगतान नहीं हुआ और चैक अनादरित कर दिया गया।

3– तत्पश्चात परिवादी बैंक के द्वारा अभियुक्त को अभिभाषक के माध्यम से मांग सूचना पत्र दिनांक 05.08.2022 को प्रेषित किया था जो आरोपी को दिनांक 13.08.2022 को प्राप्त हुआ। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी अभियुकत के द्वारा अवधि 15 दिवस गुजरने के पश्चात भी चैक में वर्णित राशि 2,49,000/– बैंक में जमा नहीं कराई गई है। इसलिए परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्ध यह परिवाद पत्र अंतर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधि ानियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

4– अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर पढकर सुनाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार कर प्रतिरक्षा चाही। अभियुक्त की प्रतिरक्षा है कि उसके द्वारा लोन जमा कर दिया गया था एवं बैंक अधिकारी द्वारा खाली चैकों पर हस्ताक्षर कराये गये थे।

5– **–: न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

(01) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु चैक क्रमांक **026801** राशि **2,49,000/–** रूपये (अक्षरी दो लाख उन्चास हजार रूपये मात्र) दिनांक **03.08.2024** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा–गांधी रोड, दतिया का धन के दायित्व निर्वहन के संदाय हेतु परिदत्त किया गया?

(02) क्या अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चैक परिवादी द्वारा विहित अवधि में उसके खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के अनुरक्षित खाते में **"Fund Insufficient"** होने के कारण अनादरित कर वापस किया गया?

(03) क्या परिवादी द्वारा अभियुक्त को 30 दिवस की अवधि में मांग सूचना पत्र प्रेषित किया गया?

(04) क्या अभियुक्त ने मांग सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर परिवादी को कोई राशि अदा नहीं की?

(05) दोषसिद्धि एवं दंडादेश, यदि कोई हो?

—: प्रश्न कमांक 01 का सकारण निष्कर्ष :—

6— परिवादी बैंक के शाखा प्रबंधक प0सा0—1 ने अपने शपथ के कथनों में व्यक्त किया है कि, अभियुक्त के द्वारा परिवादी बैंक की शाखा ए. डी.बी. दतिया से डेरी व्यवसाय हेतु लोन प्राप्त किया गया था जिसका ऋण खाता क्र.—38485680515 राशि 4,00,000/— रूपये दिनांक 06.06.19 को प्राप्त किया था। जिसकी अदायगी किश्तों में होना थी किन्तु अदायगी न होने से ऋण अदायगी के बारे में मांग की तो अभियुक्त द्वारा ऋण सिक्योरिटी हेतु बैंक में जमा चैक मूलधन एवं ब्याज का जिसका चैक नं. 026801 है बचत खाता संख्या 38056174368 राशि 2,49,000/— दिनांक 03.08.22 दिया था। परिवादी बैंक द्वारा उक्त चैक को भुगतान प्राप्त करने हेतु पेश किया तो अभियुक्त के खाते में 'राशि अपर्याप्त' होने से भुगतान नहीं हुआ और चैक बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया।

7— परिवादी बैंक के शाखा प्रबंधक प0सा0—1 ने अपने प्रकरण के समर्थन में प्रश्नगत चैक प्र0पी0—1 प्रस्तुत किया है जिसके ए से ए भाग पर अभियुक्त विशुननाथ अहिरवार के हस्ताक्षर हैं। बचाव में अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक प्र0पी0—1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जिससे परक्राम्य अधिनियम की धारा 118 व 139 की उपधारणा की जा सकती है। धारा 118 अंतर्गत परक्राम्य लिखत के प्रतिफल के विषय में यह उपधारणा की जायेगी कि हर परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखित की गई है और यह हर लिखित जब प्रतिग्रही, पराक्रमित या अंतरित की गई थी। धारा 139 के अनुसार जब तक कि अन्यथा साबित ना कर दिया जाये यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में विनिर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भुगतान या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्रदाय किया है। यद्यपि उक्त उपधारणायें खण्डनीय प्रकृति की हैं, जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रंगप्पा वि0 श्री मोहन (2010)11 एस.सी.सी. 441 में अभिनिर्धारित किया गया है कि, जहां अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जाती है, वहां पर अभियुक्त के पास उपधारणा को खण्डित करने का पर्याप्त अवसर है और उसे संभावनाओं के बाहुल्यता के स्तर पर अपने बचाव को साबित करना होगा।

8— उभयपक्ष के तर्क व साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से किसी भी प्रकार की 2,49,000/— लाख रूपये की राशि उधार ना लेना व्यक्त किया है। इस संबंध में न्यायदृष्टान्त — किशनराव विरूद्ध शंकर गौडा (2018)8 एस.सी.सी. 165 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के अंतर्गत की गई उपधारणायें खण्डनीय प्रकृति की हैं और केवल अभियुक्त के मौखिक कह देने से मात्र से उपधारणाओं का खण्डन नहीं होता है। अभियुक्त को प्रत्येक साक्ष्य

व परिस्थितियों के माध्यम से यह साबित करना होता है कि उस पर कोई भी ऋण या दायित्व नहीं था। अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया गया है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त– सुमित विज विरूद्ध पैरामाउंट टैंक 2021 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 201 में अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त परीक्षण में व्यक्त किये गये तथ्य सारभूत बचाव नहीं है बल्कि अभियुक्त को केवल संव्यवहार की परिस्थितियां स्पष्ट करने का अवसर मिलता है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त किसी भी साक्ष्य के माध्यम से उपधारणाओं का खण्डन नहीं कर पाया।

9– न्यायदृष्टान्त के. सुब्रमण्यम विरूद्ध के. दामोदर नायडू (2015)1 एस.सी.सी. 99 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवादी को विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का उन्मोचन साबित करना चाहिए और परिवादी के पक्ष में सम्यक अनुक्रम धारक की भी उपधारणा की जाती है, जिसे अभियुक्त द्वारा खण्डित किया जाना चाहिए। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के ओर से ऋण या दायित्व उन्मोचन में परिवादी को प्रश्नगत चैक प्र0पी0–1 ना देने की बात को साबित नहीं किया जा सका और ना ही अभियुक्त अपने विरूद्ध की गई उपधारणाओं को खण्डित कर पाया है।

10– परिवादी अपनी साक्ष्य के दौरान अभियुक्त को अपनी राशि देना साबित कर चुका है और प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अब अभियुक्त की ओर से प्रश्नगत चैक प्र0पी0–1 को परिवादी को उक्त राशि के संबंध में प्रदान किया गया था। इस संबंध में न्यायदृष्टान्त–वीरसिंह विरूद्ध मुकेश कुमार (2019)8 एस.सी.सी. 197 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि वैश्वासिक संबंधों में दिये गये उधार के लिए जारी किया गया चैक विधिक दायित्व को गठित करता है, साथ ही न्यायदृष्टान्त–बासालिंगप्पा विरूद्ध मुदीवासाअप्पा (2019)5 एस.सी.सी. 418 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को अपना बचाव संभावनाओ की बाहुल्यता के स्तर पर देना चाहिए। परिवादी का यह दायित्व है कि वह प्रकरण में युक्तियुक्त संदेह से परे अपने प्रकरण को साबित करे। हस्तगत प्रकरण में परिवादी राशि उधार दिये जाने की सक्षमता को साबित करने में **सफल** रहा है और अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में ये चैक विधिक दायित्व के लिए जारी किया जाने पर कोई संदेह नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा लिये गये बचाव संभावनाओं की बाहुल्यता के स्तर में अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा आवश्यक उपधारणाओं का खण्डन भी नहीं किया गया है।

11— परिणामस्वरूप प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने परिवादी से डेयरी व्यवसाय हेतु 4 लाख रूपये का लोन किया था जिसकी शेष राशि 2,49,000/— रूपये के एवज में स्वयं के बचत खाता संख्या 38056174368 राशि 2,49,000/— दिनांक 03.08.22 चैक क्रमांक 026801 हस्ताक्षरित कर प्रदान किया था।

—: प्रश्न क्रमांक 02 का सकारण निष्कर्ष :—

12— परिवादी बैंक शाखा प्रबंधक प0सा0—1 ने कथन किया है कि, उक्त प्रश्नगत चैक प्र0पी0—1 को बैंक मे भुगतान हेतु पेश किया था परन्तु अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण वह अनादरित किया गया, जिसका रिटर्न मेमो प्र0पी0—2 है। अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई बचाव नहीं दिया गया कि, अनादरण के समय अभियुक्त के खाते में पर्याप्त निधि थी। इस संबंध में अधिनियम की धारा 146 बैंक के ज्ञापन के संबंध में यह उपधारणा करती है कि ''इस अधिनियम के अधीन न्यायालय प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक के स्लिप को पेश करने पर या ज्ञापन पर प्राधिकृत चिन्ह रहने पर, सूचित करते हुये कि चैक अनादरित किया गया है, ऐसे चैक के अनादरण के तथ्य की उपधारणा करेगा, जब तक ऐसा तथ्य अप्रमाणित ना किया जाये।'' परिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ए.डी.बी. दतिया बैंक का रिटर्न मेमो प्र0पी0—2 प्रस्तुत किया है जो 'Funds Insufficient' के कारण अनादरित होना दर्शित है।

13— अभियुक्त का ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि, प्रश्नगत चैक प्र0पी0 1 की विधिमान्य अवधि 3 माह से कम की थी और इसीलिए अधिनियम की धारा 138 के खण्ड (क) के प्रावधान के आधार पर यह स्पष्ट है कि चैक प्र0पी0—1 दिनांकित 03.08.2022 को या इस तारीख से 3 माह के भीतर भुगतान हेतु ड्रॉवी बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां चैक प्र0पी0—1 के अनादरण की सूचना ड्रॉवी बैंक द्वारा रिटर्न मेमो प्र0पी0—2 द्वारा परिवादी को दिया जाना प्रमाणित किया गया है वहां यह भी स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है कि चैक प्र0पी0—1 उसकी दिनांक को या दिनांक 03.08.2022 के पश्चात 3 माह की अवधि के भीतर भुगतान के लिए ड्रॉवी बैंक के समक्ष प्रस्तुत हो गया था।

14— अभियुक्त द्वारा प्रकरण में प्र0पी0—1 का चैक अनादरण होने के संबंध में अभियुक्त की ओर से परक्राम्य लिखित अधिनियम 181 की धारा 146 की उपधारणा के खण्डन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही इस संबंध में साक्षी से प्रतिपरीक्षण में कोई प्रश्न पूछकर चुनौती दी है। अतः

अधिनियम की धारा 146 की उपधारणा अखण्डित रहने से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित पाया जाता है कि, अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चैक परिवादी द्वारा विहित अवधि में उसके खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के अनुरक्षित खाते में "**Funds Insufficient**" होने के कारण अनादरित हुआ है।

—: प्रश्न क्रमांक 03 एवं 04 का सकारण निष्कर्ष :—

15— उक्त दोनों प्रश्नों को एक—दूसरे से अंर्तसंबंधित होने से एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

16— परिवादी बैंक के शाखा प्रबंधक प0सा0—1 के अनुसार अनादरण की सूचना बैंक से प्राप्त होने पर उनके द्वारा अभियुक्त को सूचना पत्र दिनांक 05.08.2022 को प्रेषित किया गया था और उक्त सूचना पत्र दिनांक 13.08.2022 को अभियुक्त को प्राप्त हो गया था उक्त सूचना पत्र प्र0पी0 3 एवं आरोपी को प्राप्त होने की रसीद प्र0पी0—5 है। जिससे स्पष्ट है कि चैक प्र0पी0—1 के अनादरण की सूचना अभियुक्त को प्राप्त हो चुकी थी।

17— अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य में व्यक्त किया गया है कि उसने वर्ष 2019 में डेयरी व्यवसाय हेतु ऋण लिया था। जिसकी अदायगी किश्तों के द्वारा किये जाने के संबंध में बैंक द्वारा बताया गया था तथा ऋण देते समय बैंक द्वारा खाली चैकों पर हस्ताक्षर कराये गये थे। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि उक्त ऋण की अदायगी उसने वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के मध्य कर दी थी किन्तु बैंक द्वारा ऋण अदायगी के संबंध में किसी प्रकार की रसीद अभियुक्त को प्रदाय नहीं की गई थी।

18— अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में एक अन्य साक्षी शिवसेवक ब0सा0—2 को भी परीक्षित कराया है जिसमें उनके द्वारा अभियुक्त द्वारा बैंक से लोन लिये जाने एवं बैंक द्वारा ऋण लेते समय 7—8 खाली चैकों पर हस्ताक्षर कराये जाने संबंधी कथन किया है। इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि आरोपी विशुननाथ उसका पड़ोसी है और वह स्वयं उसका चाचा लगता है। आगे साक्षी ने व्यक्त किया है कि आरोपी द्वारा लोन लेते समय और अदा करते समय वह उसके साथ बैंक गया था तथा आरोपी ने जब ऋण अदा किया था तब भी वह उसके साथ ही बैंक गया था तथा विशुननाथ ने अपना ऋण चुकता कर दिया था।

19— यद्यपि विशुननाथ अहिरवार ब0सा0—1 एवं शिवसेवक ब0सा0—2 ने कथन किया है कि आरोपी द्वारा ऋण की राशि बैंक को चुकता कर दी

गई थी किन्तु उक्त ऋण अदायगी किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मौखिक कह देने मात्र से साबित नहीं हो जाता कि अभियुक्त द्वारा ऋण की राशि जमा कर दी गई थी। ऐसे में उक्त परीक्षित साक्ष्य संदिग्ध हो जाती है। अतः हस्तलिखित प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

20— अभिलेख पर अभियुक्त के द्वारा कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे दर्शित हो कि मांग सूचना पत्र प्र0पी0—3 के प्राप्त हो जाने के बावजूद भी विहित समयावधि में राशि का भुगतान अथवा उसके संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नही की गई।

21— उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि, परिवादी युक्तियुक्त संदेह से परे अपना प्रकरण साबित करने में **'सफल'** रहा है। परिणामस्वरूप **अभियुक्त विशुननाथ अहिरवार पुत्र श्री शिवचरन उम्र 48 वर्ष निवासी— ग्राम महाराजपुरा पोस्ट रेड़ा तहसील— दतिया म0प्र0** को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के संबंध में **'दोषसिद्ध'** ठहराया जाता है।

—: प्रश्न क्रमांक 05 का सकारण निष्कर्ष :—

22— समग्र परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चैक प्र0पी0—1 के अनादरण एवं नियत समय पर उक्त चैक का भुगतान परिवादी को ना करने का दोषी मानते हुये अभियुक्त को **01 वर्ष के सश्रम कारावास** से दण्डित किया जाता है।

23— परिवादी वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक के मध्य राशि 2,49,000/— रूपये के उपभोग करने से अभियुक्त के उपरोक्त कृत्य के कारण वंचित और असमर्थ रहा है। वर्तमान में संव्यवहारों में राशि के भुगतान की अधिकांश व्यवस्था चैकों के जरिये होने को देखते हुये विश्वसनीयता को बनाये रखने तथा चैक अनादरण के कारण व्यथित पक्षकार को हुई आर्थिक हानि और असुविधा को देखते हुये परिवादी को चैक राशि के साथ ही प्रतिकर के रूप में उचित राशि दिलाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

24— उपरोक्त समग्र परिस्थितियों पर विचारोपरांत प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि, वह माननीय न्यायदृष्टान्त आर0 विजय विरूद्ध बेबी (2012) 1 एस0सी0सी0 260 के आलोक में धारा (357)3 द0प्र0सं0 के अंतर्गत चैक की राशि—2,49,000/— रूपये पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिकर राशि— 70965/—रूपये सहित कुल राशि—3,19,965/— रूपये अपीलावधि

पश्चात परिवादी को अदा करे। उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने की दशा में **03 माह का साधारण कारावास** पृथक से भुगताया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

25– परिवादी द्वारा किये गये व्यय आदि हेतु अभियुक्त द्वारा दं0प्रसं0 की धारा–359 के प्रावधानों के अनुसार 5,000/– रूपये तथा न्यायालय शुल्क 10,960/– रूपये परिवादी को अदा की जावेगी। उपरोक्त राशि अदा ना करने की दशा में अभियुक्त को **01 माह का साधारण कारावास** पृथक से भुगताया जावे व अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

26– अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

27– अभियुक्त को धारा–404 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

28– प्रकरण में अभियुक्त अन्वेषण के दौरान न्यायिक निरोध में रहे हो तो उक्त संदर्भ में धारा 468 भा0ना0सु0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर अभिलेख के साथ संलग्न किया जावे।

स्थान– दतिया (म0प्र0)
दिनांक– 25/10/2025

अंतिम आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

{श्रीति अतुलकर}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दतिया (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

{श्रीति अतुलकर}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दतिया (म0प्र0)

SHRITI ATULKAR

Digitally signed by SHRITI ATULKAR
Date: 2025.10.25 17:21:50 +0530